न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 36 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
मुकनाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी गोदावास, तहसील कल्याणपुर, जिला बाड़मेर	1. आसुराम पुत्र रावताराम का.मु. 1/1उदाराम पुत्र आसुराम 1/2मदनलाल पुत्र आसुराम 1/3सुखाराम पुत्र आसुराम 1/4मुन्नाराम पुत्र आसुराम 2. बालूराम पुत्र रावताराम 3. किशनाराम पुत्र रावताराम जातियान जाट निवासीयान गोदावास, तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 65 / 2019 बउनवान आसुराम के कायम मुकाम बनाम मुकनाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.03.2021 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रूगाराम कड़वासरा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रतनलाल चौधरी, श्री पूनमाराम चोधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—01.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। अपीलांटस व उतरदातागण के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा गोदावास, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 499 रकबा 25.12 बीघा व खसरा संख्या 500 रकबा 47.15 बीघा कुल रकबा 73.07 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलाधीन आराजी उभयपक्षकारान की पैतृक भूमि है। सजरा खानदान से अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 प्रतयेक का 1/4—1/4 हिस्सा है। उपरोक्तानुसार ही अपीलांट व उत्तरदातागण के राजस्व रेकर्ड में सामलाती संयुक्त दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पचपदरा से तलब करने का आदेश पारित की गई। अपीलांट को जबाव एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्व हस्तगत अपील पेश की गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटगण पर उपरोक्त स्थिति में विधिवत रूप से तामिली नहीं हुई है, जिस वजह से अपीलांट को न तो जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और न ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया। उत्तरदाता के द्वारा अपीलांट के हक अधिकार की जमीन हड़पने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही एकपक्षीय रूप से निर्णय करवा दिया। ताकि अपीलाधीन आराजी का विभाजन राजस्व मण्डल राजस्थान के विभाजन नियम 18 से 21 विपरीत किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/उत्तरदाता के हिस्सा का विभाजन करने का निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

(नन्द लाल कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। मगर कुछ रोज पूर्व उतरदाता संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हक हिस्से में बेदखल की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा इस बारे में पूछताछ करने व राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 19.01.2023 को प्राप्त होने व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मय अंतिम डिक्री की नकले दिनांक 14.02.2023 को प्राप्त होने पर जानकारी प्रथम बार हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

उत्तरदाता के अधिवक्ता ने धारा 05 परिसीमा के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलंब के एक एक दिन का हिसाब नहीं बताया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील जानकारी होने के बावजूद भी मियाद बाहर पेश की गई। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबावदावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2021 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/उत्तरदाता के हिस्से की घोषणा कर बंटवारा प्रस्ताव तलब किया गया। जबकि अपीलाधीन आराजी के अन्य सहखातेदारों के बंटवारे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2019 बउनवान आसुराम के कायम मुकाम बनाम मुकनाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.03.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशन को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को जबावदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.06.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

1/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर